



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102024-258078  
CG-MH-E-19102024-258078

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4216]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 4216]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

आदेश

मुंबई, 17 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4585(अ).—केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (बी) और नियम 24 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा दिनांक 22 मई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 16 मई, 2013 के आदेश संख्या का.आ.1317(अ.) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-  
उपरोक्त आदेश में-

- (a) उक्त आदेश में, शीर्षक "भाग- I - सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'बी' के तहत क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
“ 8	नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में पद	मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	सभी	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ”;

(b) उक्त आदेश में, शीर्षक "भाग- II - सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'सी' के तहत क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् : --

1	2	3	4	5	6
“ 13	नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में पद	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी अथवा उप मुख्य कार्यपालक (ए), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी अथवा उप मुख्य कार्यपालक (ए), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	सभी	मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ”.

[फा. सं. VIG-30/4/2024-DAE]

ए. आर. सुले, अपर सचिव

**नोट :** प्रमुख आदेश दिनांक 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का.आ. 1317(अ.) के तहत प्रकाशित किया गया था।

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

### ORDER

Mumbai, the 17th October, 2024

**S.O. 4585(E).**—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Department of Atomic Energy, *vide* number S.O.1317(E), dated the 16<sup>th</sup> May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22<sup>nd</sup> May, 2013, namely:-

In the said Order,-

(a) in Part-I - General Central Service, Group 'B', for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
“ 8	Posts in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex	All	Secretary, Department of Atomic Energy ” ;

(b) in Part-II - General Central Service, Group 'C', for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
" 13	Posts in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad	Chief Administrative Officer or Chief Administrative and Accounts Officer or Deputy Chief Executive (A), Nuclear Fuel Complex	Chief Administrative Officer or Chief Administrative and Accounts Officer or Deputy Chief Executive (A), Nuclear Fuel Complex	All	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex".

[F. No. VIG-30/4/2024-DAE]

A. R. SULE, Addl. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1317(E), dated the 16<sup>th</sup> May, 2013.